

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : शूलीवर्ती
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3533

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में
परिनियम 28(आग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक
(30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेस एण्ड रिसर्च, गुरुकृपा कैम्पस, सिथौली रेल्वे स्टेशन के
पास, एन.एच. 75, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. विनायक सिंह तोमर, जन्म विज्ञान विभाग, शासकीय महाविद्यालय, मुरैना
2. श्रीमती कस्तूरी बाई बरेला, सदस्य, कार्यपरिषद्

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेस एण्ड रिसर्च, गुरुकृपा कैम्पस, सिथौली रेल्वे स्टेशन के पास, एन.एच.
75, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को
सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस
तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त
बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया
जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए.डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र अवलोकन कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए न
कि किसी अन्य परिवारी के बाज से।
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्ण न हो पत्र
अवलोकन कुआ हो तो पत्र बनाकर एवं दिवाल
अवश्य लिखा जावे जिससे सावित हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक/एफ/सम्बद्धता/2009/ 5084

दिनांक: ५.८.१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ निर्मिंग साइंसेस स्टॉड एण्ड रिसर्च, ग्वालियर कैम्पस/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थानीय समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) ग्रो. एस.के. द्विवेदी, आचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)

(0751-2442817)

(2) डॉ. अक्षय निगम, आचार्य, जी.आर.एम.सी. ग्वालियर।

(3) ग्रो. रेणुका दास, प्राचार्य, कॉलेज ऑफ निर्मिंग, कैंसर पहाड़ी, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर थुक्क, धरोहर राशि, वाहिनी शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुशंसाएँ प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं विद्युतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वतः उत्तरदायी होगा। नियमकी सूचना जारी की और पुक़ विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड रुपरुप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय उपायक पत्रावली लेकर जारी करायें। गहाविद्यालय की होगा। नियमकी समिति को अवगत करायें। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मार्गदर्शक महाविद्यालय द्वारा देय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुदा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के बाजे से ही किया जावे जा कि निम्नी आवश्यकताएँ जावे जाएँ।

सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक उन दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राहन : शूलीकर्त्तव्य
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/ 5115

दिनांक 19/7/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज स्टडीज एण्ड रिसर्च, ग्वालियर (0751-2432988) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोस्ट बैसिक बी.एस.-टी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष, एवं एम.एस.-टी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष, प्राथ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अन्यथायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसा एवं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अनुरूप विभागीय समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आचार्य, जैव व्यायान अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
(0751-2442841)

(संयोजक)

(2) डॉ. अक्षय निंगम, आचार्य, जी.आर.एम.सी. ग्वालियर।

(3) डॉ. अजीत सिंह राजपूत, जी.आर.एम.सी. ग्वालियर।

(4) डॉ. रेणुका दास, प्राचार्या, पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉसर पहाड़ी, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के ग्रावधानों के अनुलय महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राप्तिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुबंधित प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडीबैन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति नये प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की विवृतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसा एवं अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जावे हैं। अतः समस्त समितियों के संयोजकों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने महाविद्यालयों का विरीक्षण विधारित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय विरीक्षण हेतु तिथि के विधारण के लिए इस अधिसूचना जारी होवे के एम ग्राह तक संयोजक से सम्पर्क बही करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति के सदस्यों के साथ किसी भी दिन सम्बद्धित महाविद्यालय का विरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात किसी भी समिति का प्रतिवेदन त्वीकार नहीं किया जा सकेगा। वा ही महाविद्यालयों के लिए युक्त समितियों के ग्रन्थ सम्बन्धी आवेदन यत्रों को त्वीकार किया जा सकेगा।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जारीने तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत करावें। विरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. मानदेश महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

Zamla
कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करावें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अवधि करावे की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

PdL
उप. कुलसंचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य निखार जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
 दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
 (कार्यालय)
 2442462 (निवास)
 फैक्स : (0091-0751-2341768
 E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
 Website : http://www.jiwaukee.edu/

प्रेषक :
 कुलसचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय
 ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ ५२२७

दिनांक : ०१/०७/१२


अधिसूचना

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02 मई 2012 के पद क्रमांक 05 के निर्णयानुसार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस स्टडीज एण्ड रिसर्च, ग्वालियर को दिनांक 22 जून 2012 तक आई.एन.सी. नाम्स पूर्ण किये जाने एवं स्टॉफ की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालयीन पत्र क्रमांक 4865 दिनांक 10 मई 2012 द्वारा सूचित किया गया था, परन्तु महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त पत्र के संदर्भ में कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।


विश्वविद्यालयीन पत्र क्रमांक 4749 दिनांक 19.04.2012 द्वारा आपके पत्र क्रमांक आई.टी.एम. (यू.)/2012/394 दिनांक 18.04.2012 के संदर्भ में सूचित किया गया था कि, स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25 जनवरी 2012 में पद क्रमांक 47 (अ-अ-1) में लिये गये निर्णयानुयार सत्र 2012-13 से एम.एस-सी. नर्सिंग, बी.एस-सी. नर्सिंग, पोस्ट बैसिक बी.एस-सी. नर्सिंग, बी.एड., एम. बी.ए., एम.एस-सी. (पिट्रोकेमिकल्स, बायोटेक, मार्टिक्रोबायोलॉजी), बी.एस-सी. (बायोटेक, वैकल्पिक विषय), बी.बी.ए., बी.ए., बी.कॉम. एवं समस्त पाठ्यक्रम आई.टी.एम. यूनीवर्सिटी ग्वालियर को स्थानांतरित किया जाना है। इन संबंध में जीवाजी विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 अगस्त 2012 के निर्णय के पातन में आई.एन.सी. नाम्स अनुसार नियुक्तियाँ न किये जाने एवं नाम्स पूर्ण ना किये जाने कारण परिनियम 27(12)(3) के अनुसार आपके महाविद्यालय की समस्त नर्सिंग पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता वापिस ली जाती है।

आदेशानुसार


 कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस स्टडीज एण्ड रिसर्च, ग्वालियर
2. सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौसिल, टैम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की  ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव सम्ब.